अत्यावश्यक / ई–मेल

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2023 / 7994-8020 दिनांक : 19/09/2023

प्रेषिति–

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–01 / 02, बून्दी
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, पोक्सो संख्या–01 / 02, बून्दी
4. अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, बून्दी / केम्प के0पाटन.
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, बून्दी
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नैनवाँ
7. विशिष्ट न्यायालय, अ.जा.–अ.ज.जा.(अ.नि.) प्रकरण, बून्दी.
8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी.
9. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी / नैनवाँ / के0पाटन / हिण्डोली
10. प्रिन्सिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बून्दी
11. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी / नैनवाँ / लाखेरी / इन्द्रगढ़ / के0पाटन / हिण्डोली / तालेड़ा
12. न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01 / 02 / 03, बून्दी.
13. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा।

विषय :– 10 / 20 / 30 वर्ष पुराने प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ :– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का पत्रांकः Gen/XV/70/2023/1809 दिनांक 24.08.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि चूंकि बून्दी न्यायक्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक पुराना मात्र 01 प्रकरण निस्तारण योग्य है, जबकि 20 वर्ष से अधिक पुराने मात्र 04 प्रकरण है, लेकिन 10 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण काफी संख्या में लम्बित हैं तथा पॉच वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण तो बहुत ही अधिक संख्या में लम्बित हैं।

05 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों की इस कार्यालय को प्राप्त होने वाली मासिक / साप्ताहिक सूचना के अवलोकन से अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि 05 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में विशेष प्रयास किया जाना एवं शीघ्रातिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाना हम सभी पीठासीन अधिकारीगण की विशेष जिम्मेदारी है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देश दिये जाते हैं किः–

A न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि0, हिण्डोली में लंबित 30 वर्ष से अधिक पुराने लंबित एक मात्र प्रकरण का यथा संभव आगामी नियत तिथि पर या यथाशीघ्र गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

B. 20 से 30 वर्ष पुराने प्रकरणों को यथा सम्भव प्रतिदिन सुनवाई के लिए नियत किया जाकर, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना ऐसे प्रकरणों का दिनांक 31.10.2023 तक निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

C. 10 वर्ष से 20 वर्ष तक पुराने प्रकरणों को यथा सम्भव प्रति सप्ताह सुनवाई के लिए नियत किया जाकर, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना ऐसे प्रकरणों का दिनांक 30.11.2023 तक निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

D. इसी प्रकार 05 वर्ष से 10 वर्ष तक पुराने प्रकरणों को यथा संभव प्रति पखवाड़े सुनवाई के लिए नियत किया जाकर, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, दिनांक 31.12.2023 तक निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।

नोटः– 01. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि पूर्व से घोषित राजपत्रित अवकाशों के दिन कोई भी प्रकरण सुनवाई के लिए नियत नहीं किया जावे।

02. पक्षकारान्/विद्वान अधिवक्तागण की वाजिब कठिनाई को देखते हुये आगामी पेशी नियत करते समय यथा आवश्यक शिथिलता बरती जा सकती है।

03. कोई भी कठिनाई हो तो इस कार्यालय को तुरन्त ई–मेल द्वारा अवगत कराया जावे।

04. उक्त निर्देशों की कठोरता पूर्वक पालना सुनिश्चित की जावे।

सलंग्नः–प्रासंगिक पत्र की प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी(राज0)

Estt
01.09.23

6912
1/9/23

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./XV/70/2023/1809 Date : 24/08/2023

To : All the District and Sessions Judges.

Sub. : Regarding disposal of more than 10/20/30 years old pending cases.

Sir,

With reference to above cited subject, I am under direction to state that it has been observed that pace of disposal of cases which are pending for more than 10 / 20 or 30 years old, is very low.

You are therefore requested to direct all the Presiding Officers of your judgeship that cases which are more than 30 years old be heard on day to day basis and disposed off within three months. The cases which are 20 to 30 years old be listed and heard atleast once in a week and the cases which are 10 to 20 years old be listed and heard atleast once in a month.

Further, it has come to the notice that in many judgeships, cases are being regularly listed on the days which are already declared holiday. You are, therefore, also requested to instruct all the Courts of your judgeship to ensure that no case shall be listed on already declared holiday.

Yours sincerely,

24.8.23

REGISTRAR (ADMN.)